

1

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाड 21/2023

07/2/23
Rohini
(2200000)
Kishor
(0000000)

पारिवारिक को पक्षारोपित करके सुविचारपूर्वक फैसला देना

विमलचन्द्र
पद्मे देवी
Kishori
श्री यशोवती
अपुन्य, पद्मे देवी
श्री यशोवती
पारिवारिक
श्री यशोवती
7.2.23

पक्षकर्त्री वारिगत एवं परिवारी 1,2,3 द्वारा प्रस्तुत पत्र बखत राजीवामे किंग्ज वार पत्र की कार्यवाही सम्पादन करने पर उक्त पत्र सिंगहे से तलक भरण पर बंध (है) प्रस्तुत वाड पत्र दिनांक 24/10/2018 को सम्पादन हुआ जिसमें निम्नलिखित किंग्ज गण्ड उक्त निवेदन के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर सम्पादन पर R.S.A. चित्तोजर द्वारा किंग्ज के पत्र (संख्या 21/2018 निवेदन दिनांक 28/01/2018) से प्रकरण रिमाउड किंग्ज गण्ड और R.S.A. चित्तोजर के निवेदन के विरुद्ध मा. न्यायालय द्वारा भंडाल रखने के अपील प्रस्तुत (है) उक्त अपील का अपीलान्ट द्वारा नोट भेज कर जमाने पर पक्षकर्त्री न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत (है) उक्त न्यायालय R.S.A. चित्तोजर के निवेदनानुसार प्रमाण रिमाउड होने से किंग्ज विरुद्ध किंग्ज जाबा युक्ति वारिगत के प्रथम पत्र प्रस्तुत कर वार में कोई कार्यवाही परामर्श के बीच राजीवामा होने से, नदी चले ही किंग्ज वारिगत द्वारा वार पत्र में राजे कोई कार्यवाही नहीं चले ही परिवारी 1,2,3 भी उक्त वारिगत की पक्षारोपित सुविचारपूर्वक से व परिवारी 1,2,3 की पक्षारोपित (काम) ने की वारिगत द्वारा वार पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चले ही वार पत्र विरुद्ध से वारिगत किंग्ज जाबा ही (पारिवारिक) किंग्ज प्रमाण होकर नभर सकता है।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी